उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या-44/2021/2618 /92-2-2021-52एम/2020
लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

त्वरित विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रू0 5.00 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराये जाने संबंधी मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद सोनभद्र के 18 सड़को का निर्माण कार्य में रूचि न लेने , कार्यों में लापरवाही व शिथिलता बरतने, शिथिल नियंत्रण व भ्रामक रिपोर्टिंग करने के दृष्टिगत प्रथमद्रष्टया दोषी पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/2020/346प्र0स0/ 92-2-2020-52एम/2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा श्री अरूण कुमार वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पीआईयू/ प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1982/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-सोनभद्र/2020-21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप संख्या-01,02 व 03 स्थापित पाया गया तथा आरोप संख्य-04 स्थापित नहीं पाया गया। जांच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में शासन के पत्र संख्या-44प्र0स0/92-2-2021-52एम/2020 दिनांक 05.02.2021 द्वारा अपचारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जिसे निदेशालय के पत्र संख्या-जी-1016/ ग्रा0अ0वि0/स्था-1/अनु0कार्य0/पत्रा0सं0-980/2020-21, दिनांक 18.02.2021के अनुसार अपचारी अधिकारी को दिनांक 16.02.2021 को तामील कराया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन के क्रम में बचाव उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या का विवरण निम्नवत है:-

(क) आरोप संख्या-01

जनपद सोनभद्र में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में 04 विधान सभा क्षेत्रों में कुल 18 कार्य माह फरवरी एवं मार्च 2019 में स्वीकृत हुए थे, जिनकी कुल स्वीकृत लागत रू0 1838.18 लाख थी तथा जिसके विरूद्ध रू0 1546.46 लाख की धनराशि उपलब्ध थी। इन सभी कार्यों को समाप्त करने की समय सीमा विभाग द्वारा अधिकतम दिनांक 31.03.2020तक तय की गयी थी। जनपद सोनभद्र से माह जून में ई-मेल द्वारा दिनांक 28.06.2020 को प्राप्त थी। जनपद सोनभद्र से माह जून में ई-मेल द्वारा दिनांक 28.06.2020 को प्राप्त अहस्ताक्षरित प्रगति सूचना में 18 मार्गों में से 08 मार्ग पूर्ण होना सूचित किया गया था, जबकि मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रस्तावित समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रेषित विभिन्न रूप पत्रों पर वांछित सूचना की समीक्षा जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा की गयी, जिसमें रूप पत्र 1.1ए में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद सोनभद्र में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के 18 कार्यों में से 16 कार्य पूर्ण दर्शित किये गये तथा भौतिक प्रगति 91 प्रतिशत तथा व्यय 34 प्रतिशत दर्शाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2020 जो प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 18 मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और प्रगति अत्यन्त ही खराब है। विभाग के अधिशासी अभियन्ता व अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण के कारण ही प्रगति नहीं हो पा रही है, बैठकों में पूर्ण व अपूर्ण सड़कों के बारे में भ्रामक सूचना उन्हें दी जा रही है। जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक अन्य बुकलेट उन्हें उपलब्ध करायी गयी जो अहस्ताक्षरित है, जिससे मात्र 08 सड़कें पूर्ण दिखाया गया है और 01 सड़क के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करनेका उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अधिशासी अभियन्ता क्षेत्र में नहीं जाते हैं तथा उच्च स्तर से की जा रही समीक्षा में फर्जी रिपोर्ट भेजते है।

प्रकरण की जांच कर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- विन्ध्यांचल मिर्जापुर के पत्रांक-254/ग्रा0अ0वि0/जांच-सोनभद्र/2020-21 दिनांक 04.07.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में पाया गया कि अपचारी अधिकारी से अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्यालय को दिनांक 26.06.2020 को प्रेषित प्रगति रिपोर्ट में 08 कार्यों का पूर्ण होना सूचित है, इसके पश्चात दिनांक 03.07.2020 को प्रगति रिपोर्ट में 08 कार्यो का पूर्ण होना दर्शित है। जिलाधिकारी, सोनभद्र को गलत सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता, विन्ध्यांचल द्वारा पत्रांक-222/ग्रा0अ0वि0/ प्रगति/पत्रा0सं0/2020-21 दिनांक 01-07-2020 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण पत्र संख्या-2072/ग्रा0अ0वि0/ त्व0आ0वि0यो0/ प्रगति/2020-21 दिनांक 03-07-2020 में इन 08 में से भी 03 मार्गों को अपूर्ण बताया गया है । इस प्रकार मात्र 05 कार्य ही पूर्ण है । स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, सोनभद्र को कार्यक्रम कार्यान्यवन विभाग के प्रपत्र 1.1ए हेतु दी गई सूचना में 16 कार्यों को पूर्ण होना तथा 91 प्रतिशत भौतिक प्राप्ति की सूचना गलत थी। 18 कार्यों के विरूद्व 05 कार्य ही पूर्ण है परन्तु जिलाधिकारी, सोनभद्र को प्रेषित सूचना में 16 कार्य पूर्ण दर्शित करते हुए 91 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्शित की गयी, फलस्वरूप विभाग की छवि धूमिल हुई।

उपरोक्त के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रस्तावित समीक्षा हेतु फर्जी प्रगति सूचना जिलाधिकारी सोनभद्र को प्रेषित करने और फर्जी व भ्रामक रिपोर्टिंग करने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल कार्य किये जाने हेतु उत्तरदायी पाये जाते है।

साक्ष्य :- (1) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-150/2019/413/35-4-2019 दिनांक 18-02-2019 एवं आदेश संख्या-195/2019/413/35-4-2019 दिनांक 07-03-2019

(2) जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक-1222 (1-3)/ओ0एस0डी0-आ0ई0एस0/2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020

(3) अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल मिर्जापुर का पत्रांक 222/ग्रा0अ0वि0/प्रगति/पत्रा0सं0/2020-21 दिनांक 01-07-2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र का स्पष्टीकरण पत्र संख्या-2072/ग्रा0अ0वि0/ त्व0आ0वि0यो0/प्रगति/2020-21 दिनांक 03-07-2020

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर :-</u>

जनपद सोनभद्र में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत कुल 18 मार्गों के निर्माण हेतु 18 फरवरी 2019 को स्वीकृति प्राप्त हुई , तत्पश्चात 18 कार्यों में से 01 कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है इस प्रकार प्रखण्ड सोनभद्र द्वारा कुल 17 कार्य ही कराया जाना था। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि मु0 1838.19 लाख के विरूद्व 1546.46 लाख की धनराशि उपलब्ध के सापेक्ष कार्य कराया जाना था । शासन द्वारा कार्य पूर्ण कराने की समय सीमा 31-03-2020 निर्धारित की गयी थी, 10 मार्च 2019 को चुनाव आचार संहिता लागू की गयी जो 31-05-2019 को समाप्त हुई। चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरान्त निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात मु0 40.00 लाख से अधिक के कार्यों का अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- विन्ध्यांचल मिर्जापुर तथा मु0 40.00 लाख से कम के कार्यों का अनुबन्ध ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र के स्तर से दिनांक 07/2019 से 09/2019 के मध्य गठित किया गया। 22 मार्च 2020 से 20.04.2020 तक कोविड-19 लाकडाउन पूरे भारत में हो जाने के फलस्वरूप कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । 20.04.2020 से कोविड-19 लॉकडाउन आंशिक रूप से खुलने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किये गये परन्तु सामग्री की दुकान एवं वाहन खुलने के आदेश नहीं थे। 31-05-2020 से दुकाने खुलने हेतु आदेश जारी के उपरान्त ठेकेदारों /सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं को कार्य प्रारम्भ हेतु निर्देशित किया गया । सोनभद्र पहाडी क्षेत्र है जहां वाहन सामग्री आदि ले जाने में कठिनाई होती है । ठेकेदारों द्वारा सामग्री कार्यस्थल पर ले जाने हेतु वाहन रोक होने के कारण सामग्री पहुंचाने हेतु वापस पास निर्गत किये गये। इस प्रकार कोविड-19 के कारण कार्यों के प्रारम्भ कराने में विलम्ब हुआ यदि कोविड-19 नहीं रहा होता तो कार्य समय से प्रारम्भ हो गये होते तथा कार्य पूर्ण करा दियाजाता। त्रुटिपूर्ण सूचना अपचारी अधिकारी से बिना हस्ताक्षर/संज्ञान में न देते हुये प्रगति सहायक/अवर अभियन्ता (तकनीकी) के निर्देश में तैयार किया गया। सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 28-06-2020 को प्रेषित अहस्ताक्षरित प्रगति विवरण में 08 कार्य पूर्ण दिखाये गये परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा 08 कार्यों का निरीक्षण करने पर 05 कार्य ही पूर्ण पाये गये जो दिनांक 07-07-2020 को अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण में दर्शाते हुए 03 कार्य अपूर्ण बताया गया। भ्रामक सूचना बनाने हेतु संबंधित सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण भी मांगा गया था । त्वरित आर्थिक विकास योजना के चल रहे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय-समय पर ठेकेदारों को पत्र दिनांक 25-01-2020 एवं दिनांक 25-01-2020 द्वारा मे0 जय बजरंग इ0प्रा0तथा पत्र दिनांक 2.01.2020 द्वारा मे0 ओम नमो नारायण कं0 तथा पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा मे0 अशोक कुमार सिंह, पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा मे0 ओम नमो नारायण कं0 नोटिस देते हुए प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता दी गयी, उक्त के अतिरिक्त अधि0 अभि0 प्रखण्ड सोनभद्र के कार्यालय पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा श्री त्रिवेणी प्रसाद अवर अभियन्ता तथा पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा श्री राममूर्ति पाल अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा श्री हरिशंकर सिंह अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा श्री कलिन्द सिंह अवर अभियन्ता को कार्यों को रूचि लेते हुए पूर्ण कराये जाने पर पत्र लिखा गया जिसका अनुपालन कराने हेतु संबंधित सहायक अभियन्ताओं को निर्देश भी दिया गया । पुनः लाकडाउन के बाद भी संबंधित ठेकेदारों एवं अवर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियन्ता सहायक अभियन्ता को मासिक प्रगति रिपोर्ट कार्य पूर्ण दर्शाये जाने तथा निरीक्षण के समय अपूर्ण रहने की स्थिति का उल्लेख करते हुए पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री मोहाइदद्दीन अंसारी, श्री कलिन्द सिंह अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री हरिशंकर अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री रामनिवास पाण्डेय अवर अभियन्ता तथा पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री कलिन्द सिंह अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री राममूर्ति पाल अवर अभियन्ता, पत्र दिनांक 2.7.2020 द्वारा श्री हरिशंकर सिंह अवर अभियन्ता सोनभद्र से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण की सूचना कार्यालय में देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया जिसकी प्रति सहायक अभियन्ताओं को भी दिया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यों को पूर्ण कराने हेतु ठेकेदारों को पुनः नोटिस दिया गया जिसकी प्रति सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को दी गयी है। श्री सुरेश चन्द, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों को दिनांक 18.02.2020 एवं 19.02.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीप पर ही संबंधित अवर अभियन्ताओं को मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया था। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सुचारू रूप से किया गया है। कार्यों को द्रुत गति से कार्य पूर्ण करने हेतु समयपर दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया गया, परन्तु प्रखण्ड में सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के पद पर आवंटन के विरूद्व कार्यरत न होने/चुनाव आचार संहिता/कोविड-19 लाकडाउन एवं दो कार्यों पर द्वितीय किश्त उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण नही हो सका। यहां यह भी उल्लेख करना है कि जनपद सोनभद्र टेक्निकल स्टाफ एव कार्यालय स्टाफ की भी कमी है फिर भी उपलब्ध अभियन्ताओं एवं स्टाफ से कार्य कराया गया है।

<u>जांच अधिकारी की आख्या:-</u>

आरोप संख्या-01 के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों को पूर्ण कराने में लापरवाही एवं शिथिल पर्यवेक्षण का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र एवं विभाग को फर्जी एवं भ्रामक प्रगति सूचना प्रेषण करते हुए कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल आचरण हेतु आरोपित किया जाता है।

बचाव उत्तर में अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक-25.01.2020 एवं 02.07.2020 को विभिन्न अभियन्ताओं/ठेकेदारों एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रगति बढ़ाने हेतु लिखे गये पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित करने के सन्दर्भ में कहा गया है, कि त्रुटिपूर्ण सूचना उनके बिना हस्ताक्षर एवं संज्ञान के प्रगति सहायक/अवर अभियन्ता (तकनीकी) के निर्देशों में तैयार किया गया, जिस हेतु सम्बन्धित सहायक का स्पष्टीकरण मांगा गया था। आरोप में स्पष्ट उल्लिखित है कि अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्यालय को दिनांक 26.06.2020 को प्रेषित प्रगति रिपोर्ट में 08 कार्यों को पूर्ण होना सूचित है इसके पश्चात दिनांक 03.07.2020 को प्रेषित रिपोर्ट में भी आठ कार्यों का पूर्ण होना दर्शित है तथा जिलाधिकारी को प्रेषित सूचना में 16 कार्य पूर्ण होना दर्शित है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच उपरान्त अपने पत्र दिनांक 01.07.2020 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उल्लिखित 08 कार्य में से 05 कार्यों को पूर्ण बताया गया। उक्तानुसार माह-जून एवं जुलाई की प्रगति रिपोर्ट में 08 कार्य पूर्ण होने तथा पुनः जिलाधिकारी को प्रेषित 16 कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी का नियन्त्रण शिथिल रहा एवं प्रखण्ड के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं प्रगति रिपोर्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तैयार कराने से लेकर सही सूचना के प्रेषण का उत्तरदायित्व अपचारी अधिकारी का था, जिसका निर्वाहन न करते हुए त्रुटिपूर्ण एवं फर्जी रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु वह उत्तरदायी हैजहां तक सम्बन्धित सहायक के स्पष्टीकरण मांगने का उल्लेख है। इस संदर्भ में भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित सहायक द्वारा क्या उत्तर दिया गया तथा क्या वह त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु उत्तरदायी पाया गया अथवा नही। अतः मात्र स्पष्टीकरण मांगने के आधार पर आरोप खण्डित नहीं होता है। अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लिखित तथ्य कि प्रखण्ड में सहायक/अवर अभियन्ता के पद आवंटन के विरूद्व कार्यरत न होने, चुनाव आचार संहिता/कोविड-19 लाकडाउन एवं कार्यालय स्टाफ की कमी जैसे तथ्य से भी फर्जी रिपोर्टिंग के आरोप का कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता है एवं कथन ग्राहय नही है। अतः ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आरोप में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन होता हो।

जांच अधिकारी का निष्कर्षः- **आरोप स्थापित होता है ।**

(ख) आरोप संख्या-2

जनपद सोनभद्र में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत माह फरवरी एवं मार्च 2019 में कुल 18 कार्य स्वीकृत हुये थे। माह जून 2020 तक मात्र 08 कार्य ही पूर्ण होने की सूचना अपचारी अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट में दी गयी, परन्तु अपचारी अधिकारी के स्पष्टीकरण पत्रांक-2072 दिनांक 03.07.2020 में से भी 03 कार्य अपूर्ण बताये गये। इस प्रकार मात्र 05 कार्य ही माह जून, 2020 तक पूर्ण हुए। जबकि इन सभी कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 की दिनांक 11.02.2020 की समीक्षा बैठक में दिनांक 15.03.2020 निर्धारित किया गया था। इस प्रकार अपचारी अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त असंतोषजनक प्रगति, निर्माण कार्यों में रूचि न लेने, कार्यों में लापरवाही व शिथिलता बरतने एवं शिथिल नियन्त्रण व भ्रामक रिपोर्टिंग हेतु उत्तरदायी पाये जाते है।

साक्ष्यः-

1- त्वरित आर्थिक विकास योजना की अहस्ताक्षरित ई-मेल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.06.2020

2-अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र का स्पष्टीकरण पत्र संख्या-2072/ ग्रा0अ0वि0/त्व0आ0वि0यो0/प्रगति/2020-21 दिनांक 03.07.2020।

3-मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तरः-

अवगत कराया गया कि अपचारी अधिकारी के स्पष्टीकरण पत्रांक-2072 दिनांक 03.07.2020 में 08 कार्यों में से 05 कार्य पूर्ण किये गये शेष 03 कार्य जो कोविड-19 लाकडाउन (22.03.2020 से 31.05.2020) तक होने एवं प्रखण्ड में सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के पद पर आवंटन के विरूद्व कार्यरत न होने/चुनाव आचार संहिता/कोविड-19 लाकडाउन एवं द्वितीय किश्त उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को समय पर आरोप पत्र संख्या-01 के बचाव उत्तर में दिये गये विवरण के अनुसार नोटिस/निर्देश देते हुए प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गयी। श्री सुरेश चन्द अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों को दिनांक 18.02.2020 एवं 19.02.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीप पर ही संबंधित अवर अभियन्ताओं को मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया था। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यों के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया गया, स्थिति परिस्थिति वश कार्य पूर्ण नहीं हो सका परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनभद्र में कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है इसकी पुष्टि सोनभद्र से की जा सकती है।

<u>जांच अधिकारी की आख्या:-</u>

आरोप संख्या-02 में माह मार्च तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जून तक मात्र 05 कार्य पूर्ण होने का उल्लेख करते हुये आरोप में असंतोषजनक प्रगति, निर्माण कार्य में रूचि न लेने, लापरवाही शिथिलता बरतने एवं शिथिल नियन्त्रण हेतु आरोपित किया गया है ।

बचाव उत्तर में अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप संख्या-01 के उत्तर में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि प्रखण्ड में सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ताओं के आंवटित पदों के विरूद्व कार्यरत कम होने, चुनाव आचार संहिता, कोविड-19 लाकडाउन के कारण एवं द्वितीय किश्त के समय से उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका तथा इसके लिए ठेकेदार सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को नोटिस/निर्देश देते हुए कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया गया। तथ्यों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा प्रखण्ड में दिनांक 21.08.2019 को योगदान किया गया एवं कार्यों को पूर्ण कराने के संदर्भ में दिनांक 25.01.2020 एवं 02.07.2020 को विभिन्न अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ता एवं ठेकेदार को पत्र लिखने का उल्लेख करते हुये उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। पत्रों से स्पष्ट है कि अनुबन्ध के अनुसार अधिकांश कार्य जनवरी 2020 तक पूर्ण होना था तथा समय से पूर्ण न होने की स्थिति में मा0 मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक में दिनांक 15.03.2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। अतः अपचारी अधिकारी का उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। नियमित समीक्षा न करते हुये निर्माण हेतु निर्धारित अवधि में ठेकेदारों को नोटिस नहीं दी गई। दिनांक 25.01.2020 एवं उसके बाद पत्राचार अत्यन्त विलम्ब से एवं अनुबन्धित अवधि व्यतीत होने के बाद किया गया है, जिसे अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य में रूचि न लेने एवं लापरवाही व शिथिल नियन्त्रण के आरोप की स्वतः पुष्टि होती है। ऐसा कोई साक्ष्य/कथन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आरोप का खण्डन हो।

जांच अधिकारी का निष्कर्षः- आरोप स्थापित होता है ।

<u>(ग) आरोप संख्या-03</u>

जनपद सोनभद्र में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन अनुभाग-4 के आदेश संख्या-150/2019/413/35-4-2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा विधानसभा ओबरा में स्वीकृत मार्ग मारकुण्डी टोला बनलही से छिनरपोछा सम्पर्क मार्ग तक रोड व रपटा लम्बाई 1.84 किमी0 लागत मु0 164.13 लाख का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। इस मार्ग पर वनभूमि के कारण बाधा समाधान हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपचारी अधिकारी को पूर्व में यह मौखिक निर्देश दिया गया था कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जिलास्तरीय कमेटी के माध्यम से उक्त सड़क हेतु भूमि पृथक किया है, परन्तु 06 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी अपचारी अधिकारी द्वारा न तो विभाग से सम्पर्क किया गया और न ही मार्ग की सीमा तय की गयी है। अपचारी अधिकारी द्वारा ई-मेल पर प्रेषित प्रगति सूचना में माह जून, 2020 तक इस कार्य को अभी वन विभाग के कारण बाधित बताया गया है। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल मिर्जापुर के पत्रांक-226

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 02.07.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी से इस संबंध में कृत कार्यवाही एवं पत्राचार उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा पत्राचार की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा अपने स्पष्टीकरण पत्रांक-2072/ ग्रा0अ0वि0/त्व0आ0वि0यो0/प्रगति/2020-21 दिनांक 03.07.2020 में मात्र मौखिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, जबकि वनभूमि से प्रभावित मार्गों पर समाधान हेतु अपचारी अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही करना चाहिए था। अतएव अपचारी अधिकारी मार्ग के समाधान हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही न करने, कार्य में रूचि न लेने, कार्यों में लापरवाही व शिथिलता बरतने एवं शिथिल नियंत्रण हेतु उत्तरदायी पाये जाते है।

साक्ष्यः-

1- माह जून की ई-मेल द्वारा परिमण्डल कार्यालय को प्रेषित रिपोर्ट।

2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- विन्ध्यांचल, मिर्जापुर का पत्रांक-222/ग्रा0अ0वि0/प्रगति/पत्रा0सं0/2020-21 दिनांक 01.07.2020।

3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र का पत्रांक-2072/ ग्रा0अ0वि0/प्रगति/पत्रा0सं0/2020-21 दिनांक 03.07.2020।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तरः-

जनपद सोनभद्र में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन अनुभाग-4 के आदेश संख्या-150/2019/413/35-4-2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा विधानसभा ओबरा में स्वीकृत मार्ग मारकुण्डी टोला बनलही से छिनरपोछा सम्पर्क मार्ग तक रोड व रपटा लम्बाई 1.84 किमी0 लागत मु0 164.13 लाख का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। उक्त कार्य का अनुबन्ध संख्या-27/एस0ई0आर0ई0डी0/दिनांक 03.09.2019 में जय बजरंग इण्टर प्राइजेज के नाम गठित हुआ था। प्रखण्ड सोनभद्र का कार्यभार अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2019 को ग्रहण किया गया था तथा उक्त निर्माण कार्य उनके कार्यकाल में प्रारम्भ हुआ। मिट्टी कार्य ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ किया गया था कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य रोक दिया गया, जिसके संबंध में तत्समय सोनभद्र के कार्यलाय के पत्रांक 604 दिनांक 23.09.2019 द्वारा वनाधिकारी चुर्क सोनभद्र को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्य सुचारू रूप से कराने के लिए स्थल पर अवरोध न उत्पन्न करने हेतु अपने विभागीय कर्मचारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। वन विभाग के प्रभावित कार्य विकास खण्ड रार्बटसगंज के लिए निरीक्षण टीम गठित किया गया जिसमें श्री कलिन्द सिंह अवर अभियन्ता तथा श्री मोहाइददीन अन्सारी अवर अभियन्ता तथा विकास खण्ड दुद्धी के लिए ज्ञानेन्द्र कुमार एवं विकास खण्ड नगवा के लिए ब्रजेश कुमार को नामित किया गया तथा पुनः जिलाधिकारी सोनभद्र से तत्समय पत्रांक 978 दिनांक 21.12.2019 द्वारा समस्या के निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया गया। वन विभाग द्वारा बाधित होने के कारण कार्य पूर्ण नही कराया जा सका। जिसको पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी सोनभद्र एंव जिला वनाधिकारी सोनभद्र से पत्राचार किया गया। परन्तु वन भूमि से प्रभावित होने एवं समाधान न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में अथक प्रयास किया गया किन्तु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा, परन्तु स्थानान्तरण के समय तक कोई समाधान नहीं हो सका। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया गया तथा किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता नहीं की गयी है। स्थिति परिस्थिति वश कार्य नहीं कराया जा सका।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी की आख्याः-

आरोप संख्या-03 के अन्तर्गत प्रखण्ड में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा ओबरा के स्वीकृत मार्ग मारकुण्डी टोला बनलही में छिनरपोछा सम्पर्क मार्ग तक रोड व रपटा निर्माण कार्य पर वनभूमि के कारण बाधा समाधान हेतु 06 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही न करने, कार्य में रूचि न लेने एवं लापरवाही तथा शिथिल नियन्त्रण हेतु आरोपित किया गया है।

अपने बचाव उत्तर में अपचारी अधिकारी ने पत्रांक 604 दिनांक 23.09.2019, पत्रांक 721 दिनांक 21.10.2019 एवं पत्रांक 978 दिनांक 21.12.2019 द्वारा समस्या के निराकरण हेतु प्रयास का उल्लेख करते हुए इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि पत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी से वन भूमि होने के कारण कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए स्थल पर अवरोध न उत्पन्न करने हेतु अपने विभागीय कर्मचारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया। पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा विभाग के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की समिति गठित करते हुए जिला वनाधिकारी को अपने स्तर से संयुक्त निरीक्षण हेतु टीम गठित करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार पत्र दिनांक 21.12.2019 द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री वर्मा प्रखण्ड में दिनांक 21.08.2019 को योगदान किया गया एवं आगामी 06 माह से अधिक समय तक मात्र अधूरी टीम गठित कर निरीक्षण हेतु अनुरोध के अलावा कोई व्यक्तिगत प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार कार्य बाधित होने की दशा में प्रकरण की दिन प्रतिदिन समीक्षा करते हुये उच्चाधिकारियों का हस्तक्षेप कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से टीम गठित कराते, जो दोनों विभाग पर प्रभावी होता, किन्तु ऐसा कोई सार्थक प्रयास परिलक्षित नही हुआ तथा ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे आरोप का खण्डन हो।

जांच अधिकारी का निष्कर्षः- आरोप स्थापित होता है।

(घ) आरोप संख्या-04

प्रखण्ड में चल रहे कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य कर डायट परिसर में बालिका छात्रावास रार्बटसगंज है, जिसके अनुबन्ध के अनुसार कार्य आरम्भ होने की तिथि 24.08.2017 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 23.05.2018 है, परन्तु माह जून तक इसकी भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत ही सूचित है, जबकि प्रखण्ड के पास वर्तमान में उपलब्ध धनराशि रू0 92.99 लाख में से रू0 58.99 लाख ही व्यय सूचित हुआ है। कार्य पूर्ण होने की तिथि को व्यतीत हुए लगभग02 वर्ष से अधिक हो चुका है परन्तु प्रखण्ड में योगदान करने के उपरान्त अपचारी अधिकारी द्वारा इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तथा अपचारी अधिकारी स्तर से ठेकेदार को कोई नोटिस नहीं निर्गत नहीं किये गये है। अतएव अपचारी अधिकारी ऐसे कार्य, जिनकी प्रगति धीमी है या किसी अन्य कारण से बाधित है, को पूर्ण कराये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही किये जाने हेतु उत्तरदायी पाये जाते है।

साक्ष्यः-

(1) डायट परिसर में बालिका छात्रावास रार्बटसगंज के प्रगति रिपोर्ट की छायाप्रति।

(2) अनुबन्ध संख्या-01/SEREDVINDH-MZP/17-18 दिनांक 23.08.2017 के प्रथम पृष्ठ की प्रति।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तरः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त कार्य का अनुबन्ध 01/एस0ई0 आर0ई0डी0/दिनांक 23.08.2017 मे0 हरिओम कान्सट्रक्शन रार्बटसगंज के पक्ष में गठित हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 24.08.2017 तथा कार्यपूर्ण करने की तिथि 23.05.2018 थी। उक्त कार्य की अनुबन्धित लागत 1.60 करोड़ थी। उक्त कार्य श्री जगदत्त अवर अभियन्ता तथा यज्ञदत्त तिवारी सहायक अभियन्ता की देख-रेख में प्रारम्भ हुआ था। दिनांक 25.09.2017 को तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0के0 गर्ग के निरीक्षण के समय कार्य बन्द पाया गया। जिसके संबंध में उनके स्तर से ठेकेदार को मानक के अनुसार कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त संबंधित ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 820 दिनांक 05.12.2017 द्वारा नोटिस देते हुए मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 199 दिनांक 16.05.2018 एवं पत्रांक 308 दिनांक 22.06.2018 द्वारा ठेकेदार को नोटिस दिया गया था। कार्य की प्रगति धीमी एवं बीच बीच में कार्य बन्द करने के कारण कार्य को प्रारम्भ कराने हेतु निर्देश दिया गया था। उस समय तक कार्य प्रारम्भ नही किया गया था जैसा कि नोटिस से विदित होता है। अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के पत्रांक 370 दिनांक 02.07.2018 द्वारा ठेकेदारा को कतिपय नोटिस देने के बाद भी पूर्ण न करने के कारण अधीक्षण अभियन्ता को अनुबन्ध विखण्डित करने की प्रबल संस्तुति की गयी थी। प्रखण्ड में चल रहे एक महत्वपूर्ण कार्य डायट परिसर में बालिका छात्रावास अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-मिर्जापुर के अनुबन्ध संख्या-01 दिनांक 23.08.2017 के विरूद्व मेसर्स हरिओम कान्सट्रक्शन रार्बटसगंज द्वारा कराया जा रहा है। उक्त ठेकेदार द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से विवाद होने के फलस्वरूप कार्य को बन्द कर दिया गया था जो अपचारी अधिकारी के प्रयास द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने के फलस्वरूप ही 50 प्रतिशत पूर्ण कराया गया। ठेकेदार से पुनः विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो विभाग की छवि धूमिल न हो इसके लिए कोई नोटिस निर्गत न कर कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता से व्यक्तिगत सम्पर्क कर संबंधित फर्म को कार्य में रूचि नही ले रहा है, निर्देश देने के बाद भी अनुपालन नहीं कर रहा है, की स्थिति अवगत कराते हुए डिबार करने का अनुरोध किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र 256 दिनांक 04.07.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) को डिबार करने हेतु संस्तुति की गयी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही थी, की स्थिति सबके संज्ञान में थी। कालान्तर में उक्त कार्य पर अवर अभियन्ता परिवर्तित होते रहे हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा धीमी प्रगति के लिए संबंधित अवर अभियन्ता श्री मोहाइद्दीन अंसारी को समय पर मौखिक निर्देश देते हुए कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्यों की प्रगति अपचारी अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने से पूर्व तक 50 प्रतिशत कार्य कराया गया है जैसा कि आरोप पत्र में भी वर्णित है। अपचारी अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ इस विवादित कार्य को विभागीय हित में कार्य कराने का पूर्ण प्रयास गया है। इस प्रकार अपचारी अिधकारी द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए शासकीय कार्य में लापरवाही नहीं की गयी एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया ।

<u>जांच अधिकारी की आख्याः-</u>

आरोप संख्या-04 के अन्तर्गत बालिका छात्रावास राबर्टसगंज का कार्य पूर्ण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही न करने हेतु आरोपित किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में स्पष्ट किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया है कि कार्य 24.08.2017 में प्रारम्भ होकर दिनांक 23.05.2018 को पूर्ण किया जाना था, किन्तु ठेकेदार द्वारा विभाग से उनके पूर्व ही अनेक नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी कार्य बन्द कर दिया गया तथा कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया, जिसके क्रम में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 370 दिनांक 02.07.2018 द्वारा अनुबन्ध भी खण्डित करने की संस्तुति की गई। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से विवाद के कारण कार्य बन्द था। अपचारी अधिकारी द्वारा कोई नोटिस न देते हुए व्यक्गित सम्पर्क कर संबंधित फर्म से कार्य प्रारम्भ कराया गया। पुनः प्रगति में पर्याप्त रूचि न होने हेतु डिबार करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता से अनुरोध किया गया। इस प्रकार ठेकेदार को विश्वास में लेते हुये कई माह से बन्द कार्य को प्रारम्भ कराने के साथसाथ शिथिलता के लिए डिबार की संस्तुति करते हुये ठेकेदार पर दबाव बनाकर कार्य प्रारम्भ कराया गया, जिसके फलस्वरूप उनके समय लगभग 48 प्रतिशत प्रगति थी तथा छत नही पड़ी थी, उसे छत डलवाकर 60 प्रतिशत प्रगति में लाया गया। अतः पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ विवादित कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किये जाने का उल्लेख किया गया है, साक्ष्य स्वरूप माह सितम्बर, 2019 एवं अगस्त 2020 की प्रगति रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कथन एवं साक्ष्य ग्राहय है। अपचारी अधिकारी के योगदान से काफी पूर्व प्रगति पूर्णतः अवरूद्ध हो चुकी थी एवं कार्य बन्द था,जिसे प्रारम्भ कराते हुए प्रगति में लाया गया एवं 60 प्रतिशत तक प्रगति सुनिश्चित की गई यद्यपि कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जा सका, तथापि अपचारी अधिकारी द्वारा लम्बे समय से बन्द एवं विवादित कार्य को प्रगति में लाते हुए छत डलवाकर कार्य की प्रगति बढ़ाने से स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति हेतु सार्थक प्रयास किया गया एवं उसका आंशिक परिणाम भी प्राप्त हुआ।

जांच अधिकारी का निष्कर्ष:- आरोप स्थापित नही होता है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या के परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा फर्जी रिपोर्टिंग एवं भ्रामक सूचना दिये जाने, कार्यों को समय से पूर्ण न कराये जाने, निर्माण कार्यों में रूचि न लेने, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष असंतोषजनक प्रगति एवं कार्यों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने हेतु उत्तरदायी हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्रकरणों में फर्जी रिपोर्टिंग एवं भ्रामक सूचना दिया जाना अत्यन्त ही गम्भीर कृत्य है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन भी है। अतएव उपरोक्त के क्रम में फर्जी रिपोर्टिंग एवं भ्रामक सूचना दिये जाने तथा कार्यों में शिथिलता, लापरवाही व असंतोषजनक प्रगति के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी का 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने तथा आलोच्य वर्ष 2020-21 हेतु परिनिन्दित किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर से विनिश्चित उपरोक्त अनन्तिम दण्ड पर सहमति उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र संख्या- 2386/92-2-2020-52एम/2020 दिनांक 20.07.2021 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज से अनुरोध किया गया। तत्क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-63/03/ए.डी.सी./एस-12/21-22 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत् सहमति उपलब्ध कराया गया है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"श्री अरूण कुमार वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- सोनभद्र की 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी जाय तथा अपचारी अधिकारी को आलोच्य वर्ष 2020-21 हेतु परिनिन्दित कर दिया जाय।"

5- अतएव लोक सेवा आयोग की उपरोक्त सहमति दिनांक 14.09.2021 के क्रम में श्री अरूण कुमार वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- सोनभद्र की 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने एवं आलोच्य वर्ष 2020-21 हेतु निम्नानुसार परिनिन्दा दण्ड प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"त्वरित विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रू0 5.00 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराये जाने संबंधी मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद सोनभद्र के 18 सड़को का निर्माण कार्य में फर्जी रिपोर्टिंग एवं भ्रामक सूचना दिये जाने तथा कार्यों में शिथिलता, लापरवाही व असंतोषजनक प्रगति के लिए आलोच्य वर्ष 2020-21 हेतु परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-44/2021/2618(1) /92-2-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री अरूण कुमार वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in